न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-077 (GCMS 2023-174)

1. अब्दुल जब्बार पुत्र शेर मोहम्मद
2. अब्दुल सत्तार पुत्र शेर खॉं उर्फ शेर मोहम्मद
3. अब्दुल हक पुत्र शेर खॉं उर्फ शेर मोहम्मद

सभी जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम धोलासर
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल करीम
2. अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल करीम
3. अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल करीम
4. अब्दुल वहाब पुत्र अब्दुल करीम
5. कायमखातुं पत्नी अब्दुल वाहिद
6. हनीफा पत्नी अब्दुल वाहिद
7. हबीब पुत्र अब्दुल वाहिद
8. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल करीम
9. अल्लाबचाया पुत्र अब्दुल करीम
10. अब्दुल गफूर पुत्र मीर मोहम्मद
11. अब्दुल गफार पुत्र शेर खॉं उर्फ शेर मोहम्मद
12. अली मोहम्मद पुत्र कासम खॉं
13. यार मोहम्मद पुत्र कासम खॉं
14. नबियत खातुं पत्नी अब्दुल वाकि
15. अशरद अली पुत्र अब्दुल वाकि (नाबालिग जरिये माता नबियत खातुं)
16. उम्मेद अली पुत्र अब्दुल वाकि (नाबालिग जरिये माता नबियत खातुं)
17. मोहम्मद अमीन पुत्र अब्दुल वाकि (नाबालिग जरिये माता नबियत खातुं)
18. बरकत अली पुत्र अब्दुल हकीम
    सभी जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम धोलासर
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
19. लूणाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
    निवासी ग्राम उदयनगर देणोक,
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
20. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार लोहावट
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी

11.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 13 अप्रेल 2023 राजस्व वाद संख्या 8/2022 अनवान अब्दुल जब्बार व अन्य बनाम अब्दुल अजीज इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
2. श्री सतार मेहर, अधिवक्ता-रेस्पो.
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 20

नि र्ण य

दिनांक : 11 सितम्बर 2023

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 8/2022 अब्दुल जब्बार व अन्य बनाम अब्दुल अजीज इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 अप्रेल 2023 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 अप्रेल 2023 को प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम धोलासर तहसील लोहावट स्थित आराजी खसरा संख्या 17 रकबा 34.9081 हैक्टेयर के संबंध में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद आवश्यक कार्यवाही उक्त वाद स्वीकार करते हुए दिनांक 07 जुलाई 2022 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट के पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2022 के संलग्न विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय में प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत सुना गया, अधिवक्ता-वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से उठायी गयी आपत्तियॉ स्वीकार करते हुए दिनांक 07 अक्तूबर 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तदनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट के पत्र दिनांक 13

11.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फरवरी 2023 के संलग्न विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, जिनके संबंध में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर प्रस्तुत मौखिक आपत्तियों का निराकरण करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 13 अप्रेल 2023 पारित किये गये। जिसके खिलाफ वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा आलोच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 की मंशा के खिलाफ पारित किये गये है, विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा दिनांक 12 अप्रेल 2022 को पुनः पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के विपरीत होने से उसके संबंध में वादी-पक्ष की ओर से आपत्तियां पेश की गयी। उक्त विभाजन प्रस्ताव मे खसरे के अंतिम छोर पर अपीलाण्ट्स का हिस्सा रखा गया और प्रतिवादीगण का हिस्सा सडक के पास रखा गया जबकि अपीलाण्ट्स के हिस्से तक आवागमन हेतु सडक से नहीं जोडा गया। जाहिर है कि भूमि का नियमों के अनुरूप युक्तियुक्त विभाजन नहीं किया गया। विचारण न्यायालय में दुबारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12 अप्रेल 2023 को प्रस्तुत हुआ और उसी रोज प्रतिवादी-पक्ष की ओर से आवश्यक सुनवाई का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया एवं विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के एतराज को उसी दिन तय करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे जाहिर है कि प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार लोहावट से मिलीभगत कर इकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कराये गये एवं विचारण न्यायालय द्वारा उसी विभाजन प्रस्ताव को जल्दबाजी में स्वीकार कर लिया गया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2014(1) आरआरटी 258 की ओर आकर्षित कर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

11.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत दावे जो स्वीकार करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2022 पारित किये गये जिसके खिलाफ आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गयी है। प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट के पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2022 के संलग्न विचारण न्यायालय में प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव के संबंध में वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से उठायी गयी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 07 अक्तूबर 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके अनुसरण में तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने बाबत विधिवत पूर्व सूचना जरिये नोटिस दी गयी और विधिवत कार्यवाही करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विभाजन प्रस्ताव में वादी-अपीलाण्ट संख्या एक के हिस्से की भूमि मुख्य मार्ग से जुडती हुई रखी गयी है, मुख्य मार्ग से जुडते हुए वादी संख्या एक के हिस्से के बाद क्रमशः वादी संख्या दो व तीन के हिस्से की भूमि रखी गयी है और मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु रास्ता का प्रावधान भी किया गया है। इन परिस्थतियों में जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख और प्रस्तुत नजीर का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय

11.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 07 जुलाई 2022 के खिलाफ कोई अपील विधिवत प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं होता है, अतः उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 07 जुलाई 2022 में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है।

जहॉ तक अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 13 अप्रेल 2023 का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्राथमिक डिकी के अनुसरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब कर उसके संबंध में आपत्तियों, यदि कोई हो, का निराकरण करते हुए फाइनल डिकी जारी की जाती है। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा दिनांक 07 जुलाई 2022 को स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी की गयी और संबंधित तहसीलदार से नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट के पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2022 के संलग्न विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय में प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत सुना गया, अधिवक्ता-वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से उठायी गयी आपत्तियॉ स्वीकार करते हुए दिनांक 07 अक्तूबर 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तदनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट के पत्र दिनांक 13 फरवरी 2023 के संलग्न विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, जिनके संबंध में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर प्रस्तुत मौखिक आपत्तियों का निराकरण करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 13 अप्रेल 2023 पारित किये गये। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव विधिवत संबंधित तहसीलदार द्वारा नोटिस कमांक 151 दिनांक 05 दिसम्बर 2022 जारी कर मौके पर पक्षकारान की उपस्थित रहने हेतु सूचित कर तामील कराने के बाद ही मौके पर तैयार किये गये है और

11.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव बाबत पुनः वादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक आपत्तियों का निराकरण करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने के पूर्व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत नजीर 2014(1) आरआरटी 258 का अदालत हाजा सम्मानप करती है किन्तु तथ्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण उक्त नजीर इस मामले में लागू नहीं होती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को उनके हिस्से अनुसार दी गयी भूमि में सडक से जुडता हुआ हरे रंग से वादी संख्या एक जब्बार का हिस्सा, उसके बाद गुलाबी रंग से वादी संख्या दो सत्तार का हिस्सा तथा आसमानी रंग से वादी संख्या तीन अब्दुल हक का हिस्सा दर्शाया गया है और साथ ही वादी संख्या एक व दो के उक्त हिस्सों तथा पीले रंग से दर्शाये गये प्रतिवादी संख्या 10 व 17 के हिस्से के मध्य केसरिया (नारंगी) रंग से रास्ता दर्शाया गया है जो वादी संख्या तीन व वादी संख्या दो के हिस्से में रखी गयी भूमि को मुख्य मार्ग से जोडता है। अतः अपीलाण्ट्स को सडक से जुडती हुई भूमि नहीं दिये जाने अथवा उसके हिस्से की भूमि को आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से नहीं जाडे जाने संबंधित अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा उठाया गया आक्षेप सही नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाने से उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार

11.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 अप्रेल 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर